

**श्री सतीश कुमार सिंह यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-18/2/1056
से उद्धृत आश्वासन संख्या-1257/26 का उत्तर प्रतिवेदन**

प्रश्न	आश्वासन	अद्यतन उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के अंतर्गत गारा चौबे नहर एवं करगहर राजवाहा कच्ची होने के कारण नहर बीच में टूट जाती है तथा टेल तक पानी पहुँचने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित नहर को कब तक पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?	• सोन नहर प्रणाली अंतर्गत सोन पश्चिमी मुख्य नहर के 30.04 कि०मी० से गारा चौबे शाखा नहर निःसृत है, जिसकी कुल लम्बाई 61.00 कि०मी० है एवं रूपांकित जलश्राव 1420 क्यूसेक है। • गारा चौबे शाखा नहर के 12.50 कि०मी० से करगहर वितरणी निःसृत है, जिसकी कुल लम्बाई 38.50 कि०मी० है एवं रूपांकित जलश्राव 620 क्यूसेक है। • "सात निश्चय-2 योजना के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम अन्तर्गत गारा चौबे शाखा नहर के सम्पूर्ण लम्बाई में एवं करगहर वितरणी के कि०मी० 25.50 से कि०मी० 38.50 तक पुनर्स्थापन कार्य वर्ष 2023-24 में कराया गया है। • प्रश्नगत नहरों में खरीफ सिंचाई 2025 में अंतिम छोर तक जलश्राव प्रवाहित कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। वर्तमान रब्बी सिंचाई हेतु इन नहरों में अंतिम छोर तक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है। • करगहर वितरणी के 0.00 कि०मी० से 25.50 कि०मी० तक पुनर्स्थापन एवं अन्य कार्य को सात निश्चय-3 के निश्चय "कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि" अंतर्गत बिन्दु 'हर खेत तक सिंचाई का पानी' पहुँचाने का कार्य को आगे बढ़ाने के तहत सम्मिलित कर क्रियान्वयन हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।	वस्तुस्थिति यह है कि:- • सात निश्चय-3 के निश्चय कृषि में प्रगति-प्रदेश की समृद्धि अंतर्गत 'हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने के काम को आगे बढ़ाने' के तहत प्रस्तावित उक्त कार्य के प्राक्कलन की तकनीकी समीक्षा की जा रही है। • वर्तमान खरीफ सिंचाई हेतु प्रश्नगत नहरों में अंतिम छोर तक जलश्राव प्रवाहित कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-02-07/2026 पटना/दिनांक
प्रतिलिपि :- अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के पत्रांक-1952
दिनांक-03.07.2026 के आलोक में तारांकित प्रश्न सं0-18/2/1056 से उद्भूत आश्वासन
सं0-1257/26 का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

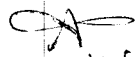
ज्ञापांक :- 26/वि0स0-02-07/2026 पटना/दिनांक :.....
प्रतिलिपि : उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-02-07/2026 पटना/दिनांक :.....
प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0 अंचल-03, जल संसाधन विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-02-07/2026 5090 पटना/दिनांक :.....02/9/2026.....
प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं
कार्यपालक अभियंता आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


29/12/26
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव